# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/39**

1. बत्तू पुत्र श्री लीलाराम
2. नरेन्द्र पुत्र लीलाराम
3. दौलतराम पुत्र गिरवर

समस्त जाति मीना निवासी रोनीजा थान, तहसील कठूमर, जिला अलवर।

**– अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कठूमर, जिला अलवर।

**– रेस्पोडेन्ट**

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर निर्णय दिनांक 09.01.2020 उनवानी बत्तू व अन्य बनाम तहसीलदार कठूमर**

**उपस्थित :–**

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक –29.11.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर के निर्णय दिनांक 09.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 28.08.2019 द्वारा अपीलान्ट्स को ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1657 कुल रकबा 2.44 है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली एवं 627/–रूपये के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहॉ पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2020 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर दिनांक 28.08.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 09.01.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलान्ट को धारा 91 का नोटिस दिया गया। अपीलान्ट उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष गवाह प्रस्तुत करने एवं नियमन करने की प्रार्थना की एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व पटवार हल्का के बयानात व रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2004 में आराजी खसरा नम्बर 1657 मिन रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर में से रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के हक में नियमन करने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आंवटन/नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कठूमर को प्रेषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने हक में तहसीलदार कठूमर के द्वारा पारित नियमन के आदेश दिनांक 03.12.2004 के संबंध में कई बार सम्पर्क किया व लिखित में भी दिया, परन्तु आज दिनांक तक आंवटन कमेटी के द्वारा नियमन की कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 15.07.2019 को अपीलान्ट को पुनः तहसीलदार कठूमर द्वारा एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिया गया। उपरोक्त नोटिस का जवाब अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया व माननीय न्यायालय को अपने हक में पारित तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 03.12.2004 के निर्णय से अवगत कराया गया व इस संबंध में नियमन कमेटी के समक्ष आवेदन करने के पत्र से भी अवगत कराया। दिनांक 28.08.2019 को तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित करते हुये 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया व रकबे से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 12.54/–रूपये का 50 गुना 627/–रूपये शास्ति आरोपित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2004 को तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के अपीलान्ट के हक में नियमन आदेश को नजरअन्दाज किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान भी रिकार्ड पर नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपने आदेश में यह कहना कि नियमन का आदेश 2004 का है और नियमन के अभाव में स्वतः शून्य हो गया है। अपीलान्ट्स तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 03.12.2004 के आदेश की अनुपालना में भूमि पर काबिज है तो उन्हें अतिक्रमी कैसे माना जा सकता है। विवादित भूमि को सार्वजनिक भूमि में मानने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.01.2020 प्रकरण संख्या 12/85/2019 एवं तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के आदेश दिनांक 28.08.2019 प्रकरण संख्या 08/2019 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का रोनीजाथान द्वारा तहसीलदार कठूमर को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गैरसायलान बत्तू, नरेन्द्र पुत्रान लीलाराम, दौलतराम पुत्र गिरवर कौम मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर ने आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.44 है0 किस्म सिवायचक भूमि के रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर पर अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के साथ प्रपत्र संख्या प. 4 की प्रति पेश की। अपीलान्ट्स द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलांटस अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का रोनीजाथान तहसील कठूमर द्वारा की गई रिपोर्ट अनुसार संवत 2076 खरीफ में अपीलांटस बत्तू, नरेन्द्र पुत्रान लीलाराम, दौलतराम पुत्र गिरवर, कौम मीना निवासी रोनीजाथान, तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा ग्राम रोनीजाथान की आराजी खसरा नं0 1657 रकबा 2.44 है0 किस्म बारानी सोयम राजकीय सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 29.07.2019 को तलब किया गया। अतिक्रमी दिनांक 29.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर मे उपस्थित रहे हैं।



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 द्वारा अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती आरोपित/बेदखल व 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त बारानी सोयम राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत 2075 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः बारानी सोयम राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। तहसीलदार की अभिशंषा पर जब तक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमन आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नही माने जा सकते हैं। भूमि राजकीय ही रहती है। राजकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिचार अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2020 को यथावत रखा जाता है।

**( डॉ. प्रवीण कुमार )**
**अति. सम्भागीय आयुक्त,**
**जयपुर**

निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**अति. सम्भागीय आयुक्त,**
**जयपुर**